TEN RUPEES

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल म0प्र0

/निगरानी/रायसेन/भू.रा/2018/1053 पुनरीक्षण याचिका कं. ...../2018

1. राशिद अली आयु वयस्क,
   आत्मज श्री गौहर अली
2. फजल अली आयु वयस्क,
   आत्मज श्री गौहर अली
3. गुफरान अली आयु वयस्क,
   आत्मज श्री गौहर अली
   तीनो निवासीगण– दीवानगंज
   तहसील एवं जिला
   रायसेन म0प्र0 ----- पुनरीक्षणकर्तागण

विरूद्ध

1. म0प्र0 राज्य द्वारा जिलाध्यक्ष
   जिला रायसेन जिलाध्यक्ष कार्यालय
   सांची रोड़ रायसेन म0प्र0
2. शैतान सिंह आत्मज श्री फूल सिंह लोधी
   आयु वयस्क, निवासी– ग्राम जामुनिया
   तहसील एवं जिला रायसेन म0प्र0 -----प्रतिप्रार्थीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

महोदय,

पुनरीक्षणकर्तागण, माननीय अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण कं. 51/निगरानी/ 2012–13 पक्षकार राशिद अली व अन्य .... पुनरीक्षणकर्तागण ... विरूद्ध म0प्र0 शासन व अन्य ... अनावेदकगण में पारित आदेश दिनांक 15.01.2018 जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निरस्त की गई है से दुखी होकर एवं असहमति व्यक्त करते हुये यह पुनरीक्षण निम्न याचिका वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत करते है।

निरंतर....2

sumita abrar sir 2017

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भूरा/18/1053 (ग्राहिद / शासन)

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-18	आवेदक अधिवक्ता श्री अबरार अहमद खान द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-1-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन पटटा भूमियों का विक्रय संहिता में प्रावधानित प्रावधानों के विपरीत होने से कलेक्टर द्वारा प्रकरण निगरानी में लेकर उभयपक्षों को सुनकर पटटे पर प्राप्त भूमि सक्षम अधिकारी से विधि प्रावधानों के तहत अनुमति प्राप्त किये बिना ही विक्रय किये जाने से संहिता की धारा 165(7) के तहत अंतरण शून्य घोषित करने का आदेश पारित करने में वैधानिक कार्यवाही की गई है और कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है, अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	